

समक्ष एम. एम. पुंछी, जे.

सब्रोस फाइनेंस कॉर्पोरेशन, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।

1984 का सिविल संशोधन क्रमांक 20

15 मई 1984.

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 138(2) - भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का I) - धारा 30 - धारा 30 के तहत संदर्भ - दावेदार साझेदारी का आरोप लगा रहा है और फर्म की कर मूल्यांकन फाइलों के उत्पादन की मांग कर रहा है - विशेषाधिकार का दावा किया गया है धारा 138(2) के तहत आयकर अधिकारी - इस संबंध में केंद्र सरकार के किसी भी आदेश पर भरोसा नहीं किया गया - विशेषाधिकार - क्या धारा 138 (2) में परिकल्पित केंद्र सरकार के आदेश के अभाव में दावा किया जा सकता है।

माना गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि कोई भी सूचना या दस्तावेज़ ऐसे मामलों के संबंध में एक लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत या उत्पादित किया जाएगा जो निर्धारितियों के ऐसे वर्ग से संबंधित हैं या ऐसे अधिकारियों को छोड़कर जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस संबंध में केवल केंद्र सरकार ही न्यायाधीश है और उसे आधिकारिक राजपत्र में अपना इरादा प्रकट करके विशेषाधिकार के प्रावधान को विनियमित करना है, इस उद्देश्य के लिए विनियमन का आधार यह है कि उसे प्रथाओं का ध्यान रखना चाहिए और प्रथागत या किसी अन्य प्रासंगिक का उपयोग करना चाहिए। ऐसा आदेश बनाते समय कारक। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान केंद्र सरकार को उस समय की जरूरतों के प्रति सचेत रहने की परिकल्पना करता है जिसके लिए किसी विशेष वर्ग के करदाताओं या अधिकारियों के एक विशेष वर्ग से संबंधित किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या रोकने की आवश्यकता हो सकती है। जब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाता तब तक केवल धारा 138(2) के अस्तित्व पर आयकर अधिकारी को कोई पूर्ण विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। आयकर अधिकारी को केंद्र सरकार के अधिसूचित आदेश के विवरण का खुलासा करके अपने रुख को और अधिक उचित ठहराना होगा जहां- विशेषाधिकार का दावा किया गया है। उसके पास ऐसी कोई सर्वव्यापी शक्ति नहीं है कि वह सूचना या दस्तावेज़ को रोक सके।

(पैरा 3).

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री आर. डी. अनेजा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के न्यायालय के 14 नवंबर, 1983 के आदेश से, विभाग द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार को बरकरार रखा गया।

एम. एल. सरिन, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से एन. सी. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और एस. एस. जैन, अधिवक्ता

अमर धिया, एडवोकेट एजी हरियाणा।

(1) यहां याचिकाकर्ता, श्रीमती। विरान वली, मेसर्स का एक कथित भागीदार

सबरोज़ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष लंबित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 के तहत एक संदर्भ में एक प्रतियोगी पार्टी है। अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसे मेसर्स सबरोज़ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से संबंधित कुछ पिछले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित कर मूल्यांकन फ़ाइल की प्रस्तुति की आवश्यकता थी और इस उद्देश्य के लिए न्यायालय द्वारा संबंधित आयकर अधिकारी को एक निर्देश दिया गया था। इसका विरोध एक अन्य प्रतियोगी पक्ष केसर सिंह ने खुद को मेसर्स सबरोज़ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एकमात्र मालिक बताते हुए किया, जो यहां प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी है। इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर दो आवेदनों को न्यायालय ने अनुमति दे दी थी और संबंधित आयकर अधिकारियों से उन फाइलों को भेजने का अनुरोध किया गया था। आयकर अधिकारियों ने मांगी गई फाइलों को सीलबंद लिफाफे में भेजते समय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(2) के तहत विशेषाधिकार का दावा किया और खेद जताया कि उन फाइलों में मौजूद जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका। (2) प्रतिद्वन्द्वी पक्षों ने निचली अदालत के समक्ष यह प्रश्न उठाया कि क्या विशेषाधिकार का दावा उचित रूप से किया गया था? आयकर अधिकारी. किसी न किसी प्रकार से मिसालें उद्धृत की गईं। न्यायालय ने विचार किया कि आयकर विभाग द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। पीड़ित याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(3) जैसा कि स्पष्ट है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 138(2) के तहत विशेष रूप से विशेषाधिकार का दावा किया गया है जो निम्नलिखित शर्तों में है: - एस. 138(2) "उपधारा (1) या किसी अन्य में निहित किसी भी बात के बावजूद फिलहाल लागू कानून के तहत, केंद्र सरकार, प्रथागत प्रथाओं और उपयोगों या किसी अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि कोई भी जानकारी या दस्तावेज किसी लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत या उत्पादित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों के संबंध में जो ऐसे वर्ग के निर्धारितियों से संबंधित हैं या ऐसे प्राधिकारियों को छोड़कर जिन्हें आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

उस प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है; उसे निर्देशित करें

सबरोज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एम. एम. पुंछी, जे.)

किसी लोक सेवक द्वारा निर्धारितियों के ऐसे वर्ग से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में या ऐसे प्राधिकारियों को छोड़कर, जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, कोई जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार अकेले ही उस संबंध में न्यायाधीश है और आधिकारिक राजपत्र में अपना इरादा प्रकट करके विशेषाधिकार के प्रावधान को विनियमित करना है, इस उद्देश्य के लिए विनियमन का आधार यह है कि उसे प्रथागत प्रथाओं और उपयोगों का ध्यान रखना चाहिए। या ऐसा आदेश बनाते समय कोई अन्य प्रासंगिक कारक। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान केंद्र सरकार को उस समय की जरूरतों के प्रति सचेत रहने की परिकल्पना करता है जिसके लिए किसी विशेष वर्ग के करदाताओं या अधिकारियों के एक विशेष वर्ग से संबंधित किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या रोकने की आवश्यकता हो सकती है। जब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक आयकर अधिकारी द्वारा दावा किया गया कोई भी पूर्ण विशेषाधिकार उसे उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के अस्तित्व पर नहीं दिया जा सकता है। आयकर अधिकारी को केंद्र सरकार के अधिसूचित आदेश के विवरण का खुलासा करके अपने रुख को और अधिक उचित ठहराना होगा जिसके तहत विशेषाधिकार का दावा किया गया है। उसके पास ऐसी कोई सर्वव्यापी शक्ति नहीं है कि वह जानकारी या दस्तावेज़ को रोक सके। आक्षेपित आदेश प्रथम दृष्टया यह प्रकट नहीं करता है कि अदालत को इसके बारे में समझदार बनाया गया था। यहां भी, इस उद्देश्य के लिए संबंधित आयकर अधिकारी को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद इस न्यायालय को उस दिशा में समझदार नहीं बनाया गया है। बेशक, पार्टियों के वकील अंधेरे में टटोलते रह गए। इस प्रकार, इस मामले को अदालत के पास वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह आयकर अधिकारियों से संपर्क कर उनसे पूछे कि उन्होंने केंद्र सरकार के किस विशिष्ट आदेश के तहत धारा 138(2) के तहत विशेषाधिकार का दावा किया है। अधिनियम। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय को कानून के अनुसार मामले पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता होगी।

(4) ऊपर जो कहा गया है, उसके लिए इस पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार और उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है।

(5) पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 1 जून 1984 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा